**International Journal of Hindi Research**
**ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22**
**Received: 09-05-2020; Accepted: 19-05-2020; Published: 0-06-2020**
**www.hindijournal.com**
**Volume 6; Issue 3; 2020; Page No. 33-39**

# वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आदिवासी का विस्थापन

**किरण नामदेवराव कुंभरे**
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सिदो-कान्हु मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

**सारांश**
समय बदलता है और इसके साथ मनुष्य की जीवन शैलीयाँ भी बदलती रहती है। परिवर्तन होना यह संसार का नियम है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता यह सत्य है लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क ही ऐसे है जो हमेशा क्रियाशील होता है। तकनीकि संचार के साधन दिन ब दिन उपलब्ध होते जा रहे है अब दुनिया में कोई ऐसे काम नहीं जो नामुनकिन हो, सबकुछ मुनकिन है। वैश्वीकरण केवल एक देश, एक राष्ट्र ,एक राज्य तक सीमित नहीं है यह तो समस्त विश्व के लिए लागू होने वाली प्रक्रिया है। आदिवासी और वैश्वीक का अंतर्सबंध किस तरह से जुड़ा हुआ है एवं वैश्वीकरण कैसे आदिवासियों के बीच में काम करता है। जो आज के समय में वैश्वीकरण ने किसी को भी छोडा नहीं है। भारत देश आजादी के बाद में अपने आपको स्वतंत्र हुआ महसूस करता है लेकिन आदिवासी समुदाय खुदको स्वतंत्र न पाकर अपने आपको सामंजस्य की स्थिती महसूस करता है, क्योंकि आज भी उनकी कुछ ऐसी जटिल समस्याएं है जैसे जल, जंगल, जमीन की समस्याएं जिनसे आदिवासी अभी भी झुंझते हुए दिखाई देते है। उनका ग्रामीण और शहरी भागों से संपर्क सही ढंग से नहीं हो पाता है। वैश्वीक परिदृश्य में आदिवासियों के सामने विस्थापन, बांध, पुर्नवसन, भूमि हस्तांतरण ऐसी समस्याओं का सामना आदिवासीयों को करना पड रहा है। ऐसे में आदिवासियों को बडी बेबाकी के साथ परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। आदिवासी अपनी अस्मिता की लडाई लड़ रहा है। इस लेख में आदिवासी से जुड़े कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास लिया है और वैश्वीक स्तर पे आदिवासी की अस्मिता को बताने का प्रयास किया है।

**मूल शब्द:** आदिवासी, विस्थापन एवं पुनर्वसन

## 1. प्रस्तावना: बांध तथा आदिवासी और विस्थापन

भारत में वर्तमान में 3600 से अधिक बांध है आजादी के पहले अर्थात 1747 थे अभी लगभग 700 बांधों का निर्माण हो गया था लेकिन आजादी के बाद 3300 बांधों का निर्माण किया गया है। भारत में भारतीय सरकार के समुह के अनुसार ''विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोगों की 40-50 प्रतिशत आदिवासी है बांधों से विस्थिापित के आदिवासियों का सामना करना पड़ रहा है।'' बाद में सवाल यह उठता है कि आदिवासियों इस तरह के विकास से आदिवासियों को लाभ मिला है इस मुद्दे पर कोई भी ज्यादा असंवेदनशील दिखाते है। लेकिन भारतीय संविधान में आदिवासियों को विशेष दर्जा मिला है पांचवी और छठवी अनुसूची के तहत आदिवासियों को प्रावधान मिला है फिर भी ठीक से लागु न करने के कारण इस तरह कि परिस्थिती निर्माण होती है। विस्थापन और विकास सरदार सरोवर बांध के निर्माण के इस लेख में ठक्कर हिमांशु कहते है कि, “1991 बाद से भारत में विश्व बैक, आई.एम.एफ-एडीबी विश्व व्यापार संगठन और पश्चिमी सरकारों के संयुक्त दयालुता द्वारा सहायता प्राप्त अपने विकास के रास्ते में एक नए चरण में प्रवेश किया गया है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के इस नए चरण की आधारशिला है। सभी उपलब्ध साक्ष्य उनकी भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृतियों से आदिवासियों है”।

मैथन बाध यह बांध बटाकर नदी पर बनाया गया है और में एक बड़ा बांध है आदिवासी राज्य झारखंड में है। मैथन बांध झारखंड में सबसे लोकप्रिय बांध है और भारत में सबसे सफल बहुउद्देशिय परीयोजना में से एक है इस बांध कि विशेषता यह है कि बाढ नियंत्रण के लिए बनाया गया है उच्च शक्ति बिजली उत्तपन्न करता है। एक भूमिगत पावर स्टेशन, दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे में अपनी तरह का पहला है मैथन बांध में सबसे बडा जलाशय है दामोदर वैली यह मिट्टी का बांध, बरावर नदी, झारखंड 60 मेगावाट है। रिहंद बाध यह उत्तरप्रदेश के सोनभद्र जिले में से है. रिहंद नदी के पार सोन नदी की एक सहायक नदी बनाया गया है। रिहंद बांध के द्वारा बनाई गई जलाशय गोंविद वल्लभ पंत जलाशय के रूप में जाना जाता है। सरदार सरोवर से प्रभावित आदिवासियों के मामले में भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात में साम्भरकाठ गांव के तहत बांध का निर्माण हुआ है। बांध अकेले गुजरात महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के तीन राज्यों में अधिक संख्या में 41000 परिवारों (200,000 से अधिक लोगों) विस्थापित हो गये है बांध से प्रभावित लोगों में से 56 प्रतिशत से अधिक आदिवासी ही है।

इसमें यह भी कारण है कि नर्मदा बचाओं आंदोलन इसी तरह विस्थापित हुए आदिवासियों कि यह मांग है कि इंदिरा सागर परियोजना में शिरिष खरे का कहना है कि, विस्थापन के कारण आदिवासियों को मार झेलनी पड रही है।

### 1.1 आदिवासियों का विस्थापन

आदिवासी समाज का विस्थापन करना या फिर अन्य समाज का विस्थापन होना यह व्यक्ति एवं परिवार के लिए संकटदायक प्रश्न है क्यों कि विस्थापित होने कि प्रक्रिया बड़ी दुःखदायक होती है क्योंकि इसमें घर, खेती बाड़ी, व्यवसाय सबकुछ छोडकर पुरा सामान लेकर किसी दुसरे स्थान पर निवास करना होता है। इसके साथ यह भी कह सकते है कि विस्थापित परिवार अथवा परिवार के समूह एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाकर बसते है। विस्थापन यह प्रक्रिया सदियों से चलती आ रही है क्यों कि कोई भी व्यक्ति अथवा समाज के विकास के लिए स्थापित्व चाहता है लेकिन किसी समुह को बार बार विस्थापित करवाना यह प्रगति में एक बाधा बनकर रह जाती है ऐसे में वह समुह स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं बीता सकता है एक प्रकार दबाव बन जाता है ऐसे में विस्थापित होने वाले व्यक्ति या समुह के सामने यह जटील समस्या बन जाती है यह समझना बहुत जरूरी है। भारत देश में कही तरह के समुदाय है जैसे कि शोषित पिडित वर्ग दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है अभिजात्य वर्ग इनका शोषण करता है। कई तरह के समुदाय भारत देश में है लेकिन विस्थापित कि मार शोषित, पिडित,आदिवासी वर्ग को ही झेलना होता है। विस्थापन के बहुत से कारण हो सकते है जैसे कि विदेशी कम्पनीयां, भूकंप, चक्रवात, सुनामी और प्राकृतिक आपदाए यह भी हा सकता है और जैसे किसी देश का आक्रमण नक्सलवादी आक्रमण बड़े-बड़े उद्योगों का निर्माण या फिर किसी बडी नदी बांध का निर्माण कुछ ऐसे कई कारण हो सकते है विस्थापन कुछ मल्टिनैश्नल विदेशी कंपनी आने के कारण भी लोगों का विस्थापन हो सकता है। वर्तमान के समय में यह दिखाई देता है कि कुछ महानगरों में सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाएओं व निर्माणों के कारण भी गरीब बस्तियों में रहनेवाले लोगों को भी कभी-कभी विस्थापित होना पड़ रहा है।

भारत देश में विस्थापित हुए लोग सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के है और आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। यह समाज विस्थापन कि समस्या से ग्रसित है। प्रमोद ठाकुर का कहना है कि, 1960 के पश्चात देश के कुल विस्थापितों में से 45 प्रतिशत आदिवासी वर्ग के है। इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है। इन विस्थापितों के पुनर्वास का उचित विचार न होने के कारण 90 साख से भी अधिक असाध्य अवस्था में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आदिवासी समाज में कुछ असंगठित अवस्था, रोजगार का अभाव, शिक्षा एवं आर्थिक विछडापन ऐसे भी कारण हो सकते है। वह यह भी कहते है कि मध्यप्रदेश के झाबुआ तथा अलिराजपूर क्षेत्र एवं गुजरात के छोटा उदयपुर तथा दाहोद क्षेत्र के हजारों जनजातीय लोग आज भी श्रमिको के रूप सौराष्ट्र तथा उत्तर गुजरात के बनासकांठा व साबरकांठा जैसे क्षेत्र में कृषि कार्य करने हेतु विस्थापित होते है। विस्थापित परिवार गांव में शादी-ब्याह, उत्सव, अथवा बिमारी अन्य कई कारणों से भी उधारी होती रहती है इसके लिए किसान भी कर्ज साहूकारों से कर्जं लेते रहते है।इसका परीणाम यह होता है कि जनजातीय समाज के व्यक्ति को कर्ज चुकाने के लिए किसान को साहूकारों के यहाँ काम करना पडता है। कभी कभी यह होता है कि, जीविका का साधन अगर होता है तो विस्थापन रूक ही जाता है जीवन जीने के लिए साधन की आवश्यकता होती है।भारत देश में कई ऐसे राज्य है जहां पर विस्थापन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है.एक अध्ययन पता चलता है कि महाराष्ट्र के ठगेवाडी गांव है वहाँ पहाड पर बसे इस गाव के निवासियों ने जल संग्रह के प्रयास किए। कृषि के माध्यम से आय में वृद्धि कर छोटे उद्देश्य से ग्रामीण परिणामस्वरूप गांव से विस्थापन की गति थम गई और गांव विकास की और अग्रसर हुआ। अन्य सभी गांवों के लिए यह उदाहरण बन गया। सरकार ने भी इसी उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना घोषित की है।

मध्यप्रदेश राज्य के एक अध्ययन के माध्यम से अवगत हुआ की योजना ठिक तरह से न चलने के कारण खण्डवा जैसे जिलों में आज भी विस्थापन हो रहा है। इसमें कई तरह के कारण है जैसे गैर अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता का अभाव है। इस योजना में यह भी है कि जमीनी सचाई का अभाव और साथ ही इससे व्यक्ति के रोजगार प्राप्ति के अधिकार की रक्षा नही होती योजना में जमीनी सचाई का अभाव है अधिकारियों की गैर-जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता का अभाव जैसे कई कारण सामने दिखाई देता है।

रमणिका गुप्ता कि पुस्तक आदिवासी विकास से विस्थापन में आदिवासियों कि वस्तुस्थिति के विषय में लिखती है कि ''भारत में आदिवासी जनसमुहों का विस्थापन एवं पलायन तो ऐसे सदियों से जारी है। परंतु इधर विकास के नाम पर बहती गई नीतियों के कारण वे केवल अपनी जमीनों, जंगल, संसाधनों व गांवों से ही बेदखल नहीं हुए बल्कि उनके मूल्यों नैतिक अवधारणाओं की जीवन शैलीयों, भाषाओं एवं संस्कृति से भी उनके विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस विस्थापन में सरकारी हस्तक्षेप व नीतियों के साथ-साथ, तथाकथित मुख्यधारा के समाज द्वारा उनके संसाधनों पर कब्जा करके उन्हें बेदखल कर देना भी उनके विस्थापन व पलायन का मुख्य कारण है''।1 विस्थापन जारी रहा भारत देश आजाद होने के बाद भी कुछ योजनाबद्ध तरीके प्रत्येक विकास के कार्यों में प्रगति हुई परंतु इस प्रगति के खातिर कुछ लाखो लोगों को किमत चुकानी पडी है। उनके इच्छा के बिना आदिवासियों की अपनी रोजी रोटी से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ा। 1947 के बाद सात सालों में लगभग ढाई लाख लोगों में से 25 प्रतिशत लोगों को विस्थापित होना पड़ा। किसी हद तक तो पुर्नवास तो किया लेकिन वह अपर्याप्त था। विस्थापन कि प्रक्रिया दो ही तरीके से कि जाती है प्रथम विकास के नाम पर दुसरा आदिवासियों का शोषण नियमित रूप से जारी रहे और कुछ वर्ग को विशेष फायदा हो सके है इस उद्देश्य से विस्थापन किया जाता है।

विस्थापन की प्रक्रिया प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर भी होता है विकास के लिए जो योजनाए जैसे

बाँध, उद्योग, खदान, पुल, सडक को बनाने, कुछ बडे कारपोरेट घरानों ने नीजीकरण के माध्यम से सामुदायिक जमीनों का अधिग्रहण कर लेती है फिर कुछ समय बाद वहाँ के लोगों को विकास के नाम पर उजाडा जाता है। सत्यदेव प्रसाद करते है कि, ''आज तक कथित विकास व सार्वजनिक हित आदि के नाम पर देश में किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी व मेहनतकशों को ही उजाडा गया। उनके संसाधनों पर से उन्हें हटाया गया और चंद मुट्ठी भर लोगों के उपभोग के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेसियों की मदद से संसाधनों का दोहन चल रहा है। वास्तव में अधिकांश विकास बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा की जाने वाली यह व्यापक 'विनम्र हिंसा' ही है। यह एक व्यापक, गहरी, अदृश्य सांस्कृतिक लड़ाई भी है। हमारी संस्कृति को 'विकास' आधुनिकता की आड में नष्ट करने कि साजिश है''। 2 विस्थापन के संदर्भ यह दिखाई पडता है कि इसमें कई घटक समाहित हो जाते है। जिसमें विकास, पुनर्वास, भूमंडलीकरण, असमानता, गरीबी विदेश गमन, पलायन आंतकवादी, साम्प्रदायिकता कुछ लोगो किसी भी तरह से विस्थापित होने के लिए बाद्ध करते है। ''उडीसा के कलिंगानगर में तीस हजार प्रति एकड की दर से जमीन खरीदी गई लेकिन सरकार द्वारा इसे टाटा स्टील को 3.35 लाख प्रति एकड़ बेचा गया परंतु विस्थापितों के पुनवार्स पर सरकार भी गंभीरता नही दिखाती है''।3 उड़ीसा में सरकार ने कोरियाई स्टील कंपनी को भारतीय उत्पादन कर्ताओं से बहुत ज्यादा छूट दी जैसे " उड़ीसा सरकार ने टाटा स्टील को अपने समझौता पत्र में तीन वर्षो का समय दिया वही पोस्को को पांच वर्षो का टाटा आयरन व स्टील कंपनी को 25 वर्ष का समय उपलब्ध कराया, वही कोरियाई कंपनी को ठीक इसी कार्य के लिए तीस वर्षो का समय दिया है। यह नही पोस्को कंपनी के साथ किए गए समझौते में खनन व निर्यात संबंधी मानको का निर्ममता से उल्लंघन किया गया है''।4

वैश्विकरण की दुनियां में औद्योगिकीकरण दौर में एक आंधी सी दिखाई देती है और सबसे ज्यादा इसकी मार आदिवासी वर्ग को झेलना पडता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है उडीसा और आंध्रप्रदेश। ''उड़ीसा के कलिंगा में अमानुषिक बर्बर गोलीकांड में हुई 14 व्यक्तियां की मौत को भूलना बड़ा मुश्किल है। इसके अतिरिक्त स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) जो भूमडलीकरण का नया नारा है, में भी सदैव विस्थापन की पीडा आदिवासियों को ही झेलनी पड रही है। वर्ष 1980 से 2003 तक 8,70,000 हेक्टेयर जंगल को 10,118 प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कर दिया गया है। ऐसे ही औद्योगिकीकरण के प्रभावस्वरूप भारत में 25 से 50 मिलियन लोग विस्थापन कि पिडा झेल रहे है''।5 वैसे आदिवासी समाज को हाशिए पर डाला हुआ है कई ऐसे उदा. सामने है जैसे आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ और झारखंड के जनजातीय इलाकों में नक्सलवाद में वृद्धि हो रही है यह इलाका देश के सबसे पिछडे इलाको में गिनने जाते है। कारखाने, बिजली, कारखाने, बड़े औद्योगिक संस्थान, बांध आदि का निर्माण शुरू होने के कारण आदिवासियों को विस्थापित होना पडता है बिहार, उडीसा, पं. बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश के आदिवासी इस वर्ग में आते है। आदिवासियों को जबरन विस्थापन किया जा रहा है। ''सरकार कि कुछ नीति के कारण जैसे 1951 और 1995 की अवधि में झारखंड में 50 हजार एकड़ भूमि पर 15 लाख लोग विस्थापित हुए है, जिनमें 41.27 प्रतिशत आदिवासी है।''6 इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ''परियोजनाओं में विस्थापित हुए आदिवासियों की संख्या 89.7 प्रतिशत भारत के कुछ राज्यों में जनता को हाशिये पर धकेले जाने बाद जनता के मुखर विरोध का राष्ट्रीय स्वरूप देख सकते है।''7 जैसे जनता पर अन्याय होता रहा है इसलिए जनता ने विरोध करना शुरू किया था।

**1.2 जनता का विरोध**

पश्चिम बंगाल शिगुर में पुलिस फायरिंग और किसानों की मृत्यु, आंध्रप्रदेश के खम्मन में पुलिस के परिणामस्वरूप चार की मृत्यु, राज्यस्थान के हनुमानगढ और गंगानगर में पानी के मुद्दे पर किसानों का विरोध प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग, उडीसा के कलिंग में आदिवासियों का विरोध, महाराष्ट्र के रायगढ में विरोध-प्रदर्शन, सेज के विरोध में किसानों का आंदोलन,उत्तरप्रदेश के छादर में किसानों का विरोध एवं आंदोलन, हरियाणा में किसानों द्वारा सेज का विरोध, छत्तीसगढ़ में बस्तर में सेज के विरोध में आदिवासियों का प्रदर्शन, गोवा में समुद्र किनारे मॉल और होटल निर्माण के सरकारी एजेंडे का आम जनता द्वारा विरोध, केरल के पालक्कड में कोका कोला प्लांट के विरोध में प्रदर्शन, झारखंड के रांची में रिलांयस फ्रेश का विरोध. भारत में ऐसे कई उदाहरण देख सकते है जैसे पंश्चिम बंगाल में सिंगूर का उदाहरण यह भारत के राज्यव्यवस्था में चित्रण प्रस्तुत कर सकता है। टाटा कंपनी यह अपनी एक लाख किमतवाली कार निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के सरकार के साथ समझौता किया और इसीके संदर्भ साहित्यकार महाश्वेता देवी के अनुसार ''टाटा ने राज्य सरकार के साथ समझौते में कहा है कि पाँच वर्ष बाद 20 करोड रूपय देगे।'' 8 यह राशि सिंगुर की 1000 एकड जमीन का मुआवजा होगा और ब्याज दर थी 0.01 प्रतिशत यानी उस 20 करोड रुपेय का डिस्काउटेड वेल्यू होगी 11-12 करोड रुपेय यानी टाटा समूह देगा 12 करोड और ले जाएगा। 100 करोड 1.8 सिंगुरवासियों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह सिर्फ जमीन नहीं, उनकी जीविका भी है। जन-संगठनों ने कई कई बार राज्य सरकार से सिंगुर की जमीन को लेकर टाटा से हुए समझौते की जानकारी चाही, पर सरकार ने उसे उपलब्ध नही कराया। उस समय तृणमूल कांग्रेस कि ममता बनर्जी लंबे समय तक भूख हडताल पर रही, लेकिन जनता को इससे लाभ नहीं हो सका सिंगुर के संबंध में सरकार ने दावा किया कि वहां के 9020 भूमिपतियों के 95 प्रतिशत लोग स्वयं ही जमीन बेचने को तैयार हो गए''।9 इसीसे संबंध में ''सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर इस सरकारी दावे को खारीज करती है। 40 से 50 प्रतिशत भूमिपतियों ने इस भूमि-अधिग्रहण का सशक्त विरोध किया।''। 10 अधिकारिक रिपोर्ट दावा करती है कि 997 एकड अधिगृहित भूमि में 62 एकड भूमि के लिए सहमति मुआवजे से पहले ही मिल गई। सिंगुरवासी कभी भी अपनी पांच फसली जमीन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि यह 11 हजार

लोगों की जीविका से जुडी हुई थी। सिंगुर में धारा-44 लगा दी गई। इसी के संदर्भ में प्रतिष्ठित कार्यकर्ता और लेखिका अरूंधती रॉय ने शेष व्यक्त करते हुए कहा, ''हमें अपने देश के ही किसी भाग में भ्रमण के लिए पासपोर्ट लेना होगा।' ।'11 ऐसा उन्होंने कहाँ था क्योंकि स्थिती ऐसे निर्माण हुई थी।

प्रत्येक जगहों पर यह कहर टूट रहा था जैसे ''महाराष्ट्र में भी पेन और रायगढ़ के किसानों ने विशेष आर्थिक जोन (सेज के लिए कृषकों के भूमि-अधिग्रहण का विरोध किया।"12 इसी तरह के कई राज्य में आदिवासियों को हमेशा संघर्ष करना है ऐसे दिखाई देता है ''उड़ीसा में आदिवासियों ने खनन उद्योग और आंध्रप्रदेश में मच्छुआरों ने तटीय इलाकों में पोत-निर्माण करके उनके जीविका का विरोध संकट पैदा करने के लिए सरकार का कडा विरोध किया।।"13 छत्तीसगढ़ में बस्तर में भी आदिवासियों ने स्पेशल इकोनोमिक जोन (सेज) के नए प्रस्तावों का जबरदस्त विरोध किया।।"14 इसी तरह से एक और मामला था जो "उत्तर प्रदेश में अनिल अंबानी को दादरी परियोजना के लिए भूमि सस्ते दामों में गई, इसका भी विरोध किया गया।"15 गोवा शहर के हालात तो अलग ही थे " गोवा सरकार ने गोवा महाप्लान-2011 के लिए जो योजना तैयार की थी, उसमें समुद्र किनारे होटलों व शापिंग मॉल बनाने का प्रावधान था, जिसका गोवावासी ने निरंतर विरोध कर रहे परियोजना से गोवा में पर्यावरण असंतुलन का भय व्याप्त हो गया था। अंतः सरकार को जनता के विरोध को देखते हुए इस महाप्लान को वापस लेना पड़ा।"16 इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास के चलते आदिवासियों को कठिन रास्तो से गुजरना पडता है इतना ही नही तो आदिवासियों को अपनी जान को भी खोना पडता है।

विकास और विस्थापन के मामले में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में आदिवासी और उन लोगो कि है जो ग्रामीण क्षेत्रों के सीमान्त पर सदियों से प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रीत थे और उन्ही उसी संसाधनों पर अपना गुजारा करते थे। आदिवासियों का विस्थापितों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्ही का है। परिणाम स्पष्ट है कि ''विकास की हमारी नीतियों और उनके फलस्वरूप होने वाले विस्थापन में जनजातियों का अनुपात अत्यंत अधिक हो गया है। इस तथ्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर और आठवी योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्य में लगे कार्यकारी समूह की रिपोर्ट ने प्रमाणित भी किया है।"17 इसी तरह डॉ. बी.डी. शर्मा ने भी भारत के राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा था बी.डी शर्मा इन्होंन भूतपूर्व आयुक्त अनुसूचित जाति व जनजाति का वह पत्र प्रस्तुत है जो उन्होंने आयुक्त की 29 वी रिपोर्ट में राष्ट्रपति को लिखा था। डॉ. बी.डी. शर्मा के अनुसार ''विकास के लिए संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के संदर्भ में संसाधनों पर अधिकार का दुसरा पहलू विस्थापन है। इस समस्या की व्यापक समीक्षा से स्पष्ट है कि विकास के रास्ते में हम एक ऐसे नाजुक मोड पर पहुँच चुके है जिसे खास तौर पर आदिवासी इलाको में अब अनदेखा नहीं कर सकते है। विकास के दौर में सबसे बडा नुकसान आदिवासियों और साधनहीन लोगों को हुआ जिनमें अधिकतर अनुसूचित जनजातियों के लोग है। सभी संसाधनों को संपत्ति रूप से मान लिए जाने से उनके अधिकार या तो अनदेखे रह गये या आधे अधूरे माने गये। सबसे बडी बिडम्बना तो यह है कि विकास की महान यात्रा के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे 19 वी शताब्दी के उपनिवेशिक कानून का बेलाग उपयोग किया जा रहा है जिसमें लोगों की जिंदगी के अधिकार की कल्पना नही है और राज की इच्छा को जनहीत का दर्जा दिया गया है।"18 यह विस्थापन का कहर आदिवासियों पर बढता ही जा रहा है न जाने आदिवासियों पर पडी हुई गाज कब खत्म होगी दुनिया की सबसे बड़ी और आक्रमक औद्योगिक व्यवस्था ने तो संसार के संसाधनों पर नियंत्रण फैलाने का एक विशाल तंत्र बना रखा है| इक्वाडोर में कुछ उस जैसे लोगों के प्रभाव से जो नतीजे सामने उनका, उसका एक नमुना है जो कुछ शब्दों में बया करता है यह विवरण आदिवासी बहुल एक क्षेत्र में आमेजन की एक सहायक नदी पर बने एक बांध का है। ''एक विकराल दैत्य, नदी से उठा हुआ एक दैत्याकार धूसर दीवार। इससे लटकता हुआ क्रंक्रिट वहाँ के वातावरण से बिल्कुल विपरित था वह बदसूरत बेमेल दीवार एक बांध है जो पास्ताजा नदी की धारा को रोककर इसके जल कि उर्जा को एक सुरंग के जरिए जिसे पहाड में खोदा गया है, बिजली में परिवर्तित करता है। यह 156 मेगावाट क्षमात की ऐगायोन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना है। यह उन उद्योगों का पोषण करती है जिनसे इक्वाडोर के मुट्ठी भर परिवार धनाठय बन जाते है और जो नदी नट के किसानों और मूलनिवासियों के लिए अपार दुःखो का कारण बनी है।"19 इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास के नाम पर जो उपनिवेशिक उपक्रम चल रहा है यह पुरी तरीके से आक्रमण की गाज आदिवासियों पर गिर रही है इससे आदिवासी समाज और भी कमजोर बनता जा रहा है ऐसे कह सकते है।

## 2) आदिवासियों का प्रवसन एवं पुनर्वसन

विश्व में प्रवसन होना यह कोई नई बात नहीं है। विश्व में कई ऐसे लोग है जो काम के सिलसिले एक जगह से दूसरे जगह जाते है। रोजगार पाने के लिए व्यक्ति कही पर भी जा सकता है। उसके उपर कोई बंधन नही वह व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कही पर भी जा सकता है। लगभग सभी समुदायों में से आदमी समुदायों अपनी जमीन मूल निवास स्थान से गहरा संबंध होता है। इसलिए आदिवासियों के संदर्भ में प्रवसन होना यह कभी भी विशेष रूप से सामान्य परिस्थिती में नही होता है। आदिवासियों कि बात जब भी आती है तो यह दिखाई देता है कि जब तक संचार साधन नही थे तब तो प्रवसन होने कि सभावनाए कम थी लेकिन जैसे ही संचार साधन बढते गऐ या फिर संचार साधन विकसित होने के बाद प्रवसन कि सम्भावनए बढी।

इसी तरह से भारत देश के कुछ विमुक्त तथा खानाबदोश आदिवासी भारतीय समाज के विभिन्न अंग है। आदिवासियों का प्रवसन दो पहलुओं से समझा जा सकता है। पहले तो उन कारकों के माध्यम जो आदिवासी समुहों को बाहर की और धकेलते है और दुसरा वह है जो किसी आदिवासी समुहों को अपनी और खीचते है या आकर्षित करके और मूलस्थान छोडने के लिए उकसाते है। पहले श्रेणी में से तो कुछ सामाजिक आर्थिक, शोषण, बिमारी व भुखमरी तथा बाढ व सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं को शामिल किया जाता है। दुसरे

प्रकार के कारको शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर व अधिक मजदूरी जैसे कारक शामिल किये जा सकते है जिनके कारण बहुत सी जनजातियाँ प्रवासी बन जाती है।

आदिवासी प्रवसन कोई नई घटना नहीं है लेकिन योजनाबद्ध तरीके से तथा संगठित के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रेरित प्रवसन एक नयी घटना है। कई ऐसे राज्यों में आदिवासियों का प्रवसन हुआ है। ''बिहार तथा बंगाल के ओरांव, संथाल, हो, तथा मुंडा जैसी जनजातियाँ उत्तरी बंगाल व असम के चाय बागानों में काम के लिये जाती रही है परंतु कुछ दशकों में इन क्षेत्रों में हरियाणा और पंजाब की और प्रवसन एक नयी घटना है। हरित क्रांति व समृद्धी के द्विप् निर्धन तथा शोषित जनजातियों के लिए आकर्षण के केंद्र है। यद्यपि 1980 के वर्षो में अंश: परिस्थितियों के बाद पंजाब की और प्रवसन कम हो गया है। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में छपी कुछ रिपोर्टा के अनुसार प्रवासी जनजातीय खेतिहार मजदूरों को हरियाणा व पंजाब में अफीम का आदी बनाकर उनका शोषण किया जाता रहा है। असंगठित होने के कारण ये प्रवासी अपने शोषण के विरूद्ध आवाज नही उठा पाये।''। 20 डॉ. सुरेश जगन्नाथन अपने लेख में कहते है कि, विमुक्त तथा खानाबदोश जनजातियां भारतीय समाज के अभिन्न अंग है उनके बारे में कहते है कि ''भारत में 313 खानाबदोश जनजातियां है और 198 विमुक्त जनजातियां है। इनकी जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या में 8 प्रतिशत है। ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से करीब 200 जनजातियों को 1891 अपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अपराधी जनजातियां घोषित किया इस कारण इन समुदायों का प्रत्येक व्यक्ति, भारत के सभ्यसमाज की नजर में जन्मजात अपराधी कहलाने लगा।''21 हाल ही में केंद्रसरकार और राज्यसरकार आर्थिक योजनाए लागु करने का काम कर रहे है|

भारत देश आजाद होने के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन भारत के घुमंतु व खानाबदोश समुदाय पांच वर्षों स्वतंत्र तक नही हुए| लेकिन 1952 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें अधिकारिक रूप से विमुक्त घोषित किया लेकिन सामाजिक रूप से आज भी वे जनजातियां उस कलंक को ढो रही है। भारत में इनकी अत्यधिक जनसंख्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राज्यस्थान में पाई जाती है। आदिवासियों कि समस्याए वास्तविकाताअें पर आधारित है इन आदिवासियों कि सामाजिक व्यवस्था और राजतंत्र दोनों तरफ से अन्याय का सामना करना पड़ा है।

खानाबदोश जनजातियां पर्यावरण से गहरा संबंध है और उनके अपने आजीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर है। उनके पास विभिन्न प्रकार के जानवर उनकी अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है जैसे घोड़े, गधे, ऊँट, बैल, गाय, भेड, कुत्ते, बंदर और भालू आदि जानवर पाल कर प्रशिक्षित किया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है। जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर, हिरण, खरगोश, लोमडी, गुहेरा, साप नेवला आदि का शिकार कर बेचते है। वनस्पतियों के साथ भी इनका बहुत करीब का रिश्ता है। जंगल से बड़ी संख्या में वनस्पतियों का संग्रह करते है और उन्हें संसाधित कर बेचते हैं। कुछ तो निरंतर घुमते रहते है। इन आदिवासियों के बारे में यह बात है कि विमुक्त एवं खानाबदोश जनजातियां निरंतर घुमते रहते है इनका कोई स्थाई निवास नही है। हालांकि उनमें से कुछ ने घर बसाना शुरू कर दिया है। परंपरागत रूप से वे कभी भूमि के हकदार नही थे न ही किसी घर के मालिक नतीजतन वे न केवल विकास योजना, कल्याण कार्यक्रमों से ही बल्कि नागरिकों के अधिकारों से भी वंचित रहे हो। विमुक्त खानाबदोशों की सबसे पहली तथा महत्वपूर्ण समस्या वर्गीकरण गणना की है। संविधान के तहत इन्हें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जैसे किसी भी वर्ग में अधिसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सूची में शमिल तो किये गये लेकिन देश भर में कोई एकरूपता दिखाई नही देती है। ''भारतीय संविधान तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकृत समुदायों को अनुच्छेद 342 (2) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर संविधानिक सुरक्षा भी प्रदान की गई''22 विडम्बना यह है कि एक हि जनाजति को अलग अलग राज्यों में अलग-अलग वर्गों में रखा गया। उदाः ''महाराष्ट्र में 'फांसे पारधी' अनुसूचित जनजाति सूची में शामील किये गये किंतु उनके समकक्ष 'हिरण शिकारी' 'गाय पारधी को विमुक्त तथा खानाबदोश वर्ग के अंतर्गत रखा गया है।'गाय पारधी' को विमुक्त तथा खानाबदोश वर्ग अंतर्गत रखा गया है उसी प्रकार विदर्भ क्षेत्र में कैकाडियों' को अनुसूचित जाति के वर्ग में सम्मिलित किया किंतु राज्य के अंतर्गत रखा गया है।''23 'कैकाड़ी आंध्रप्रदेश अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखा गया है। इसमें अंतर दिखाई देता है। सबसे अधिक आबादी वाली 'बंजारा' या 'लंबाडा' को महाराष्ट्र में विमुक्त और खानाबदोश वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है तो आंध्रप्रदेश, गुजरात और उडीसा में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। कर्नाटक, राज्यस्थान, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में और उत्तरप्रदेश में अन्य पिछडे वर्गों में सम्मिलित किया गया है। कई ऐसे राज्य है आदिवासियों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगह दि है यह बडा जटिल प्रश्न है जो इस पर सोचने कि जरूरत है। इस विषय में डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव एवं डॉ. रावेन्द्र कुमार साहु अपनी पुस्तक 'आदिवासी विमर्श स्वस्थ जनतांत्रिक मूल्यों की तलाश' इसमें कहते है कि, "आदिवासी समाज आज भी प्रकृति के उपादानों तथा 'जल, जंगल, जमीन की अस्मिता के लिए प्रण-प्राण से न्योच्छावर है सस्कृति सभ्यता उनकी अनमोल धरोहर है और उनकी भाषा में उनका जीवन बसता है। इस प्रकार आदिवासी कहने से एक ऐसे परिवार या समूह का बोध होता है, जिसमें वे परंपरागत विधिविधानों से परिपूर्ण स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन के जरिये अपने समाज का संचालन करने में समर्थ होते है आज आवश्यकता इस बात की है वैश्वीकरण की आँधी में इन्हें बचाया जाय एवं उनकी रीतिरीवाज़ को ध्यान में रखकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास किया गया है।" लेकिन इसका दोष वैश्वीकरण को नहीं दे सकते क्योंकी यहाँ की व्यवस्था में कमी होने के कारण ऐसी समस्यायें उत्पन्न हो रही है।

### 2.1) आदिवासियों का पुर्नवसन

आदिवासियों को विकास के चलते के अलग अलग समस्याओं से गुजरना पड रहा है। आज यह भी दिखाई देता है कि तिसरी दुनिया के

देशों में बहुतों के लिए 'विकास' एक स्वप्न सा हो गया है क्यों कि कुछ ऐसे तरीके से होता रहा मानो एक तरह का लक्ष्य समुदाय अथवा जिनके हित के लिए विकास कार्य किये जा रहे यह सब प्रगति और विकास का शिकार हो जाता है।

पुर्नवसन जब होता है आदिवासियों का तो उसके पहले कि स्थिति को देखते हुए उसे पहले जैसे स्थिति मं रखना जरूरी है। आदिवासियों का विस्थापन तो बडे जल्द ही किया जाता है लेकिन उसके पहले यह भी देखना जरूरी है कि विस्थापन होने वाले व्यक्ति एवं परिवार उसका घर बार, खेती, व्यवसाय यह भी ख्याल रखना जरूरी है। विकास के चलते आदिवासियेां का विस्थापन हो जाता है लेकिन पुर्नवसन कभी-कभी कुछ भी आवश्यक नहीं माना जाता ऐसे में उस आदिवासी व्यक्ति एवं परिवार के सामने बहुत बडा सवाल खडा हो जाता है। आदिवासी विस्थापन के नाम पर उजड रहे है यह वह परिस्थितियाँ थी जिसने विस्थापितों को एकजुट होकर संघर्ष में कूद पडने लिए मजबूर कर दिया जहाँ-जहाँ परियोजना चालु होती या जमीन की नपाई शुरू होती है। वहाँ के किसान रोजगार और पुनर्वास कि लडाई तैनात होती रही है। राँची में इंजिनियरिंग कारपोरेशन हटीया की स्थापना के समय वहाँ के आदिवासी समुदाय ने ग्रामीणों ने एक जुझारू संघर्ष किया और रेल तक बंद कर दी तो सरकार को मजबूर होकर उन्हें नौकरिया देनी पड़ी तब भी सरकार ने पुनर्वास की कोई नीति निर्धारित नही की। ''कोयला खदानों में एन.सी.डी.सी. के अधिकारियों ने वर्तमान उत्तरी छोटानागपूर के संयुक्त जिला हजारीबगा (गिरिडिह समेत) रांची के कर्णपुरा क्षेत्र तथा धनबाद के कुछ इलाको में परियोजना के लिए आदिवासियों व खदानों के अज्ञान और तत्कालीन नेतृत्व कि विमुखता का लाभ उठाकर आसानी से जमीने ले ली थी और स्थायी मजदूरों की रिक्तीयां बिहार तथा देश के दुसरे इलाको के लोगो से भर ली थी। ऐसे मे आदिवासियों के सामने बाटने का संवाल निर्माण हुआ ऐसे में आदिवासी के सामने बहुत बडी समस्या है। 1894 के भूमि अधिग्रहण सरकारने नीजी भूमि का अधिग्रहण करने कि अनुमति दी है। इसमें कई बार संशोधन हुआ लेकिन अपना उद्देश्य पूरा करने में नाकाम रही है जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। विस्थापित आदिवासी कि हालत बहुत खराब है उनके पुनर्वसन कि योजना ठिक से न बनने के कारण आदिवासियों पर कहर टूट पडा है ऐसे आदिवासी के सामने पुनर्वसन कि सबसे जटील समस्या है ऐसा वह समझने लगे। क्योंकि अपने मूल पर्याप्त जीवन से कट गये जो अन्य समुदाय के साथ खुदको अमहसूस कर रहा है।

पुर्नवसन जैसे समस्याए उत्पन्न होती जा रही है। विदेशी कंपनी को जगह देकर इन आदिवासियों को विस्थापित होना पडता और इसका पुर्नवसन भी ढंग से नही किया जाता ऐसे में आदिवासी हिम्मत हारकर एक उम्मीद लगाये बैठते है कोई तो आयेगा जो हमारी व्यथा को समझेगा हमारी समस्याओं का निवारण करेगा ऐसा हर समय लगता है लेकिन आदिवासी जस के तस रह जाते है सरकार भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते ऐसे आदिवासियों को लगता है।

## निष्कर्ष

भारत देश का विकास करने के लिए और दूसरें देशों के साथ संबंध बनाकर रखने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है। वैश्वीकरण यह भारत में लागु होने के बाद में कई मल्टीनेशनल विदेशी कम्पनियों को जगह मिल गई है प्रत्येक कंपनीने अपने व्यवसाय, उद्योग खोले है बाजारपेठ में बड़े पैमाने पर अपनी वस्तुए बेच रहे है देश की विकास की धारा उसी दिशा में जा रही है लेकिन सवाल यह है कि, आदिवासियों का विकास करने के नाम पर आदिवासियों की जमीनों के साथ लूटपाट हो रही है कई ऐसे मामले सामने आए है । इसके चलते आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया जा रहा है ऐसे में आदिवासी बेघर भी होते जा रहे है। एक तरफ आदिवासी विकास की बात हो रही और दूसरी तरफ आदिवासी के विकास के नाम पर धोखाधड़ी भी हो रही है। वैश्वीकरण यह सभी समुदाय के लिए विकास बन रहा है लेकिन आदिवासी के साथ ऐसा नहीं। आदिवासियों का जब पुनर्वसन और विस्थापित किया जाता है तब उस समुदाय को सारी सुविधाए देनी चाहिए लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता ऐसे में कई गांव, बस्ती उजड़ जातें है और आदिवासी बेघर बन जाता है। आदिवासी समाज को जैसे ग्रामीण और शहरी भागों में रह है कुछ ही आदिवासी में थोडा अपने आपमें सुधार कर रहे है आर्थिक और सामाजिक रूप से लेकिन जंगल में रहनेवाले आदिवासी, गांव के आदिवासी को पता ही नहीं वैश्वीक परिदृश्य क्या है इससे वह अनजान है। आदिवासी का विकास करने के लिए पुनर्वसन विस्थापन तो होता है लेकिन इस स्थिति में आदिवासी को बड़ी दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। भारत में जब बांध बनाये गए, परियोजना बनाई गई तब आदिवासियों को इसकी मार झेलनी पड़ती है यह वास्तविकता है कई ऐसे राज्य है जिसके तहत यह देखा जा सकता है। आदिवासियों को आर्थिक दृष्टी से सशक्तिकरण करना आवश्यक है इस दृष्टी से भारत सरकार आदिवासियों का सशक्तिकरण करने के लिए कई कार्यक्रम, योजनाए बना रही है।

## संदर्भ सूची

1. गुप्ता, रमणिका.आदिवासी विकास से विस्थापन.(2008); राधाकृष्ण प्रकाशन,दिल्ली, पृश्ठ संख्या 7
2. गोड, रवि कुमार, सिंह, महेन्द्र प्रताप.समकालीन विमर्श मुद्दे और बहस (स्त्री, दलित, आदिवासी के संदर्भ में). (2014); अनंग प्रकाशन,दिल्ली, पृष्ठ सं. 385
3. सिंह, अमित कुमार. भूमण्डलीकरण और भारत परिदृश्य और विकल्प. (2009); सामयिक प्रकाशन, पृष्ठ सं. 130
4. वही पृष्ठ संख्या
5. पृ. सं. 136
6. गुप्ता, रमणिका.आदिवासी विकास से विस्थापन.(2008); राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या-8
7. सिंह,अमित कुमार.भूमण्डलीकरण और भारत परिदृश्य और विकल्प.(2009); सामायिक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 132

8. पृष्ठ संख्या, 132-136
9. वही पृष्ठ संख्या-136
10. वही पृष्ठ संख्या 136
11. वही पृष्ठ संख्या 136
12. वही पृष्ठ संख्या 136
13. वही पृष्ठ संख्या 136
14. वही पृष्ठ संख्या 136
15. वही पृष्ठ संख्या 136
16. वही पृष्ठ संख्या 136
17. हसनैन, नदीम.जनजातीय भारत.2004; जवाहर पब्लिशर्स ऐंड डिस्ट्रीब्युटस, दिल्ली, पृष्ठ सं. 205
18. पृष्ठ सं. 227
19. सिन्हा, सच्चिदानंद.समादवाद की संभावना.2011;वाग्देवी प्रकाशन, बिकानेर, पृष्ठ सं.56
20. हसनैन, न नदीम.जनजातीय भारत.2004; जवाहर पब्लिशर्स ऐंड डिस्ट्रीब्यूटस,दिल्ली, पृष्ठ सं. 189
21. थोरात, विमल. दलित अस्मिता (सेंटर फॉर दलित लिटरेचर एंड आर्ट की त्रैमासिक, दिल्ली, अंक 14,15 वर्ष 4 जनवरी, जुलाई 2014
22. पृष्ठ सं. 22
23. पृष्ठ सं. 26